क्रम संख्या–93

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 145 / XXXVI(3) / 2010 / 13(1) / 2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010'** पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2010

(अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2010)

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"उत्तरांचल शब्द के स्थान पर "उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जाना

2. उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 14, सन् 2006) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहाँ–जहाँ "उत्तरांचल" शब्द आया है, वहाँ–वहाँ "उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जायेगा।

धारा 4 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा (पदेन)	–	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा (पदेन)	–	सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय (पदेन)	–	सदस्य
(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो	–	सदस्य
(च) राज्यपाल द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व कुलपति	–	सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	–	सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित नियमों में परिभाषित एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट	–	सदस्य
(झ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा (पदेन)	–	सदस्य–सचिव"

धारा 12 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	–	अध्यक्ष"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।